Vision Australia
Blindness. Low Vision. Opportunity.

एनएसडब्ल्यू चश्मा कार्यक्रम और पात्रता आवश्यकताएँ

एनएसडब्ल्यू चश्मा कार्यक्रम क्या है?

एनएसडब्ल्यू चश्मा कार्यक्रम (कार्यक्रम) एनएसडब्ल्यू में आर्थिक रूप से वंचित लोगों को उनकी दृष्टि में सुधार के लिए और नेत्र स्वास्थ्य में निवार्य गिरावट से बचने के लिए नि:शुल्क चश्मे और अन्य आँख-संबंधी उपकरण प्रदान करके सहायता उपलब्ध कराता है।

यह कार्यक्रम भाग लेने वाले आँख-विशेषज्ञों और आँख-संबंधी उपकरण उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों के लिए धन प्रदान कराता है, जिससे कि वे पात्र ग्राहकों को चश्मे और अन्य आँख-संबंधी उपकरण नि:शुल्क उपलब्ध करा सकें।

यह कार्यक्रम एनएसडब्ल्यू सरकार द्वारा वित्त-पोषित है और इसे Vision Australia द्वारा सँचालित किया जाता है।

कार्यक्रम क्या प्रदान करता है?

यदि आप कार्यक्रम के पात्रता मानदंडों को पूरा करते/करती हैं, तो आप किसी भी दो साल की अवधि में निम्नलिखित प्राप्त करने के/की हकदार हैं:

- एक एकल दृष्टि चश्मा; या
- एक द्विनाभित (बाईफोकल) चश्मा।

यदि आप किन्हीं अन्य विशेष नैदानिक रोगों से ग्रस्त हैं, तो आप संपर्क लेंस, रंग चढ़ाए हुए लेंस या कम दृष्टि के सहायक उपकरणों सहित अन्य वस्तुओं के लिए पात्र हो सकते/सकती हैं।

ये वस्तुएँ इस कार्यक्रम के माध्यम से नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं। आप ऐसी वस्तुओं के लिए एक अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने का चयन कर सकते/सकती हैं जो इस कार्यक्रम के माध्यम से उपलब्ध नहीं हैं (जैसे बहुनाभित (मल्टीफोकल) या प्रोग्रेसिव लेंस और गैर-मानक फ्रेम)।

कार्यक्रम का उपयोग करने के लिए कौन पात्र है?

यह कार्यक्रम निम्नलिखित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले लोगों के लिए उपलब्ध है:

निवास	एनएसडब्ल्यू में स्थायी रूप से रहने वाले/वाली एक ऑस्ट्रेलियाई निवासी हों
संपत्ति	कुल संपत्ति $500 से कम हो (यदि एकल हों) या परिवार की कुल संपत्ति $1,000 से कम हो (यदि दम्पति हों या एकल माता या पिता हों)
आय	एक संपूर्ण (कम न की हुई) राष्ट्रमंडल पेंशन, लाभ या भत्ता प्राप्त करते/करती हों और कोई अतिरिक्त आय न हो (Centrelink के भुगतानों के अलावा) या एक कम आय अर्जक हों, जिसकी कुल आय संपूर्ण Newstart भत्ते (यदि सेवानिवृत्ति की आयु से कम आयु के हों) या संपूर्ण वृद्ध पेंशन (यदि सेवानिवृत्ति की आयु से अधिक आयु के हों) से ज़्यादा न हो
अन्य योजनाएँ	किसी अन्य कार्यक्रम (उदाहरण: Department of Veterans' Affairs) के तहत नि:शुल्क आँख-संबंधी उपकरण प्राप्त करने के लिए पात्र न हों
समयावधि	पिछले दो सालों के अंदर कार्यक्रम के तहत चश्मे या अन्य आँख-संबंधी उपकरण प्राप्त न किए हों। (यदि दो साल के अंदर नुस्खे में कोई महत्वपूर्ण बदलाव आया है, तो विशेष शर्तें हैं)

ध्यान दें कि आश्रित बच्चे (18 वर्ष से कम आयु के बच्चे) भी इस कार्यक्रम के लिए पात्र हैं, यदि उनके माता-पिता/ अभिभावक पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।

आवेदन प्रक्रिया कैसे काम करती है?

आपके लिए यह आवश्यक है कि आपने कार्यक्रम के लिए आवेदन करने से पहले हाल ही में एक नेत्र-परीक्षण करवाया हो और आपके पास 3 महीनों से अधिक पुराना नुस्खा न हो। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले अधिकांश प्रदाता आँख-विशेषज्ञ होते हैं जो आपकी आँख का परीक्षण कर सकते हैं। Vision Australia की वेबसाइट (www.visionaustralia.org/spectacles) पर पूरे एनएसडब्ल्यू में भाग लेने वाले सभी प्रदाताओं की सूची दी गई है।

आपका आँख-विशेषज्ञ या आँख-संबंधी उपकरण प्रदान करने वाला व्यक्ति आवेदन को पूरा करता है। आपको अपने द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर अपनी पात्रता का एक त्वरित मूल्यांकन प्राप्त होगा। यदि Vision Australia इस बात की पुष्टि करता है कि आप पात्र हैं, तो आपका आँख-विशेषज्ञ या आँख-संबंधी उपकरण प्रदान करने वाला व्यक्ति आपके चश्मे या आँख-संबंधी उपकरण के लिए आदेश देगा और जब वह एकत्र करने के लिए तैयार हो, तो आपको सूचित करेगा।

आवेदन करने के लिए मुझे क्या जानकारी उपलब्ध कराने की ज़रूरत है?

व्यक्तिगत जानकारी

कार्यक्रम के लिए आवेदन करने के लिए आपका आँख-विशेषज्ञ या आँख-संबंधी उपकरण प्रदान करने वाला व्यक्ति आपका नाम, पता, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, Medicare सँख्या, पेंशन का प्रकार और रियायत सँख्या जैसी व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहेगा।

Centrelink Income Statement (Centrelink आय स्टेटमेंट)

यदि आपको एक Centrelink लाभ प्राप्त होता है, तो आपके लिए एक Centrelink Income Statement उपलब्ध कराना आवश्यक होगा जो 3 महीने से अधिक पुराना न हो। Centrelink आय स्टेटमेंट आपकी **आय** और **संपत्ति** की जानकारी प्रदान करता है। Centrelink आय स्टेटमेंट के लिए अनुरोध किसी Centrelink कार्यालय में जाकर के, अपने Centrelink ऑनलाइन खाते का उपयोग करके, या टेलीफोन के माध्यम से 136 240 पर कॉल करके किया जा सकता है।

कम आय अर्जक

यदि आप एक कम आय वाले कर्मी हैं, तो आपको अपनी आय की पुष्टि करने के लिए एक पेस्लिप उपलब्ध करानी होगी और अपनी संपत्ति की पुष्टि करने के लिए एक बैंक स्टेटमेंट उपलब्ध कराना होगा। ये दोनों दस्तावेज़ 3 महीनों से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।

सहमति और घोषणा

आवेदन के समय आपका आँख-विशेषज्ञ या आँख-संबंधी उपकरण प्रदान करने वाला व्यक्ति आपको इस कार्यक्रम में भाग लेने के नियम और शर्तें प्रदान करेगा। इससे आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए गोपनीयता की शर्तों और Vision Australia या एनएसडब्ल्यू सरकार द्वारा आपके आवेदन में दी गई जानकारी को सत्यापित करने के लिए की गई किसी भी कार्यवाही के बारे में समझ पाएँगे/पाएँगी।

आपको कार्यक्रम के नियमों और शर्तों के लिए मौखिक सहमति देने के लिए कहा जाएगा तथा आपके द्वारा दी गई जानकारी के सही होने के लिए एक घोषणा प्रदान करने के लिए कहा जाएगा।

मुझे और अधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त हो सकती है?

एनएसडब्ल्यू चश्मा कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए Vision Australia की वेबसाइट www.visionaustralia.org/spectacles देखें

या Vision Australia से निम्नलिखित द्वारा संपर्क करें:

फोन: 1300 84 74 66
ईमेल: info@visionaustralia.org